M&TP/DY No - 947

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
Department Of Revenue
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)
(Income tax)

Notification

New Delhi, dated the 5th March, 2015

S.O. (E). ___ In pursuance of the provisions contained in sub-clauses (vi) and (via) of clause (23C) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) read with rule 2CA of the Income-tax Rules, 1962, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Direct Taxes, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 3027(E), dated the 1st December, 2014, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Board of Direct Taxes hereby, -

(i) specifies the 15th day of November, 2014 as the 'specified date' for the purposes of the aforesaid rule 2CA.

(ii) authorises the Commissioner of Income-tax (Exemptions) to act as 'prescribed authority' for the purposes of sub-clause (vi) and sub-clause (via) of clause (23C) of section 10 of the Act with effect from the 15th day of November, 2014 :

Provided that in respect of application made before the 15th day of November, 2014 under sub-clause (vi) and sub-clause (via) of clause (23C) of section 10 before the prescribed authority [authorised by the Board by notification number S.O. 852 (E), dated 30th May, 2007, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii)] and in respect of which any proceeding is pending, such authorised authorities shall continue to act as the prescribed authority subject to following modifications in view of the fact that some of such prescribed authorities have either been redesignated or have ceased to exist -

MS Rekha 5/3/15

(i) for cases falling in the jurisdiction of erstwhile Director of Income-tax (Exemption), Ahmedabad, [redesignated as Commissioner of Income-tax (Exemptions) with effect from the 15th day of November, 2014] the Chief Commissioner of Income-tax, Ahmedabad-1, Ahmedabad shall be the authority;
(ii) for cases falling in the jurisdiction of erstwhile Director of Income-tax (Exemption), Bangalore, [redesignated as Commissioner of Income-tax (Exemptions) with effect from the 15th day of November, 2014] the Chief Commissioner of Income-tax, Bengaluru-1, Bengaluru shall be the authority;
(iii) for cases falling in the jurisdiction of erstwhile Director of Income-tax (Exemption), Chennai, [redesignated as Commissioner of Income-tax (Exemptions) with effect from the 15th day of November, 2014] the Chief Commissioner of Income-tax, Chennai-3, Chennai shall be the authority;
(iv) for cases falling in the jurisdiction of erstwhile Director of Income-tax (Exemption), Hyderabad, [redesignated as Commissioner of Income-tax (Exemptions) with effect from the 15th day of November, 2014] the Chief Commissioner of Income-tax, Hyderabad shall be the authority;

(v) for cases falling in the jurisdiction of erstwhile Director of Income-tax (Exemption), Kolkata, [redesignated as Commissioner of Income-tax (Exemptions) with effect from the 15th day of November, 2014] the Chief Commissioner of Income-tax, Kolkata-3, Kolkata shall be the authority;

(vi) for cases falling in the jurisdiction of erstwhile Director of Income-tax (Exemption), Mumbai, [redesignated as Commissioner of Income-tax (Exemptions) with effect from the 15th day of November, 2014] the Chief Commissioner of Income-tax, Mumbai-1, Mumbai shall be the authority;

(vii) for cases falling in the jurisdiction of erstwhile Director of Income-tax (Exemptions), Delhi, [redesignated as Commissioner of Income-tax (Exemptions) with effect from the 15th day of November, 2014] the Chief Commissioner of Income-tax (Exemptions), Delhi shall be the authority;

(viii) for cases other than those mentioned at (i) to (vii) above, the Chief Commissioner or Director General to whom the Assessing Officer having jurisdiction to assess the university or other educational institution or any hospital or other medical institution referred to in sub-clause (vi) and sub-clause (via) of clause (23C) of section 10 of the Act was subordinate prior to the 15th day of November, 2014 and where such Chief Commissioner or Director General who was so authorised has ceased to exist, the Principal Chief Commissioner of Income-tax of that region.

[Notification No. 20/2015 F. No. 196/26/2014-ITA.I]

DEEPSHIKHA SHARMA
Director to the Government of India

To
The Manager
Government of India Press
Ring Road, Mayapuri Industrial Area (Near Rajouri Garden), New Delhi.

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

(आयकर)

<u>अधिसूचना</u>

नई दिल्ली, दिनांक 5 मार्च, 2015

का.आ............. (अ) आयकर नियमावली, 1962 के नियम 2गक के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23ग) के उप खंड (vi) और (viक) में निहित उपबंधों के अनुसरण में और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अधिसूचना संख्या का.आ.3027 (अ), दिनांक 1 दिसम्बर, 2014 का अधिक्रमण करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा न की गई वस्तुओं को छोड़कर एतदद्वारा,

(i) उपर्युक्त नियम 2गक के प्रयोजनार्थ 15 नवम्बर, 2014 को 'विनिर्दिष्ट तारीख' के रुप में विनिर्दिष्ट करता है।

(ii) आयकर आयुक्त (छूट) को अधिनियम की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (vi) और (viक) के प्रयोजनों के लिए 15 नवम्बर, 2014 से 'विहित प्राधिकारी' के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत करता है:

बशर्ते कि [भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग -II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. का.आ.सं. 852 (अ), दिनांक 30 मई, 2007 के तहत बोर्ड द्वारा प्राधिकृत] विहित प्राधिकारी के समक्ष धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (vi) और (viक) के अंतर्गत 15 नवम्बर, 2014 से पूर्व किए गए आवेदन के संबंध में और जिसके संबंध में कार्यवाही लम्बित पड़ी है, ऐसे प्राधिकृत प्राधिकारी, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए किए गए निम्नलिखित संशोधनों के अध्यधीन कि कुछेक ऐसे विहित प्राधिकारी या तो पुन:पदनामित किए गए हैं या उस पद पर मौजूद नहीं रहे हैं, विहित प्राधिकारी के रूप में कार्य करना जारी रखेंगे:-

(i) पूर्व आयकर निदेशक (छूट), अहमदाबाद (जिसे 15 नवम्बर, 2014 से आयकर आयुक्त (छूट) के रुप में पुन:पदनामित किया गया है) के क्षेत्राधिकार में आने वाले मामलों के लिए प्राधिकारी मुख्य आयकर आयुक्त, अहमदाबाद-1, अहमदाबाद होगा;

(ii) पूर्व आयकर निदेशक (छूट), बंगलोर (जिसे 15 नवम्बर, 2014 से आयकर आयुक्त (छूट) के रुप में पुन:पदनामित किया गया है) के क्षेत्राधिकार में आने वाले मामलों के लिए प्राधिकारी मुख्य आयकर आयुक्त, बंगलुरु-1, बंगलुरु होगा;

(iii) पूर्व आयकर निदेशक (छूट), चेन्नई (जिसे 15 नवम्बर, 2014 से आयकर आयुक्त (छूट) के रुप में पुन:पदनामित किया गया है) के क्षेत्राधिकार में आने वाले मामलों के लिए प्राधिकारी मुख्य आयकर आयुक्त, चेन्नई-3, चेन्नई होगा;

(iv) पूर्व आयकर निदेशक (छूट), हैदराबाद (जिसे 15 नवम्बर, 2014 से आयकर आयुक्त (छूट) के रुप में पुन:पदनामित किया गया है) के क्षेत्राधिकार में आने वाले मामलों के लिए प्राधिकारी मुख्य आयकर आयुक्त, हैदराबाद होगा;

(v) पूर्व आयकर निदेशक (छूट), कोलकाता (जिसे 15 नवम्बर, 2014 से आयकर आयुक्त (छूट) के रुप में पुन:पदनामित किया गया है) के क्षेत्राधिकार में आने वाले मामलों के लिए प्राधिकारी मुख्य आयकर आयुक्त, कोलकाता-3, कोलकाता होगा;

(vi) पूर्व आयकर निदेशक (छूट), मुम्बई (जिसे 15 नवम्बर, 2014 से आयकर आयुक्त (छूट) के रुप में पुन:पदनामित किया गया है) के क्षेत्राधिकार में आने वाले मामलों के लिए प्राधिकारी मुख्य आयकर आयुक्त, मुम्बई-1, मुम्बई होगा;

(vii) पूर्व आयकर निदेशक (छूट), दिल्ली (जिसे 15 नवम्बर, 2014 से आयकर आयुक्त (छूट) के रुप में पुन:पदनामित किया गया है) के क्षेत्राधिकार में आने वाले मामलों के लिए प्राधिकारी मुख्य आयकर आयुक्त (छूट), दिल्ली होगा;

(viii) उक्त (i) से (vii) तक में उल्लेख किए गए मामलों से भिन्न मामलों के लिए ऐसे मुख्य आयुक्त या महा निदेशक जिससे अधिनियम की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (vi) और (viक) में उल्लिखित किसी विश्वविद्यालय या अन्य किसी शैक्षिक संस्थान अथवा किसी अस्पताल या किसी अन्य चिकित्सा संस्थान का कर-निर्धारण करने हेतु क्षेत्राधिकार रखने वाला कर-निर्धारण अधिकारी 15 नवम्बर, 2014 से पूर्व अधीनस्थ था और जहां ऐसा मुख्य आयुक्त या महानिदेशक जिसे इस प्रकार प्राधिकृत किया गया था, उस पद पर मौजूद नहीं है। वहां प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त उस क्षेत्र का प्राधिकारी होगा।

[अधिसूचना सं.20/2015 फा.सं. 196/26/2014-आ.क.नि.-I]

दीपशिखा

(दीपशिखा शर्मा)
निदेशक, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
रिंग रोड, मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र,
(राजौरी गार्डन के समीप),
नई दिल्ली-110064